

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16- 31967 Dated 11/08/2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance to the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0-20-00 hectare of forest land is proposed to be diverted in favour of H.P.S.E.B.L. for the Construction of 33/11 KV Electrical Sub Center Shri Naina Devi Ji which falls in the jurisdiction of Modar Village, Tehsil Sri Naina Devji at Swarghat, Bilaspur District, H.P.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-20-00 hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III;
- (b) The Proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before concerned Ward Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The concerned Ward Sabha, has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and it has given its consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of the proposed diversion. A copy of certificate issued by the Ward Sabha of Madar has been enclosed.
- (d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Ward Sabha members present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Ward Sabha has given its consent to it;
- (f) The Rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Pankaj Rai (I.A.S.)

Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.

dated, 11/08/2021

for

Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.

Endst No- as above- 31967

Copy to the Executive Engineer HPSEB, Bilaspur, District Bilaspur, H.P. for

further necessary action.

12-8-2021

2707
Sr. Asst. Commercial

Section

Supdt. Gr. H

Supdt. Accounts

St's Works JE. MAS JE PURCHASE

WENO - C/A

28/08/2021

Sr. Asst.

Commercial

EA-I, II, &

H. D. B

28

OFFICE OF THE S.D.O (CIVIL) SHRI NAINA DEVI JI, BILASPUR DISTRICT BILASPUR (IIP)

Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of Swarghat Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/ chairpersonship of Sh. Subhash Gautam, SDO (Civil), Swarghat on dated 18-05-2021 at Swarghat (place) in which the application (s) of the applicant (s) ASSISTANT ENGINEER, ELECTRICAL SUB DIVISION HPSEB LTD. KOT, DISTT. BILASPUR (H.P) for 0.20.00 Hectare forest area (s) under Modar Gram Sabha was sought for diversion for the construction of Building 33/11 KV Electrical Sub Center Shri Naina Devi Ji in Distt. Bilaspur (H.P) from Vill. Modar Tehsil Shri Naina Devi Ji Distt. Bilaspur under FRA, 2006, duly processed & recommended by the Modar FRC & Gram Sabha, was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions the claim of the following applications were found to be in order and recommended for admission to the district level Committee.

Sr. No.	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right/ Land
1	EXECUTIVE ENGINEER, HPPWD BILASPUR DIV.NO.II, DISTT. BILASPUR (H.P)	Modar	0.20.00 Hect.

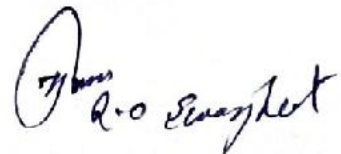
Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of the Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
---	---	---	---

As informed by Modar FRC & Gram Sabha, no application was received claiming rights in 0.20.00 Hect. Forest area.

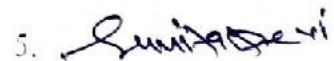
1. 

2.



3. 

4. 

5. 


SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson,
Sub-Divisional Level Committee,
Shri Naina Devi Ji at Swarghat
District Bilaspur (HP)

Place:- Swarghat
Dated: 18-05-2021

Annexure - III

Office of the Deputy Commissioner
District Bilaspur (Himachal Pradesh)

FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

Proceedings of the meeting of District Level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Pankaj Rai, I.A.S., Deputy Commissioner, Bilaspur on 04-08-2021 at 11-00 A.M. at Bilaspur in which the following applications were discussed and approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committee of Sub Division Sri Naina Devi Ji at Swarghat, District Bilaspur, H.P.

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	0.73.36 hectares	Construction of link road from Kikranwali road to village Chamdol Basti Km 0/0 to 1/390.
2.	0.11.67 hectare	Construction of Building Fire Post Shri Naina Devi Ji.
3.	0.20.00 hectare	Construction of Building 33/11 KV Electrical Sub Center Shri Naina Devi Ji in District Bilaspur.
4.	0.188 hectare	Construction of Company Commander, Home Guard 5/4 Gramin Company at Bassi, Tehsil Sri Naina Devi Ji, District Bilaspur.

1. (Muskan),
Zila Parishad. (Member)

3. (Madan Kumar)
Zila Parishad. (Member)

(Torul Raveesh) I.A.S.
5. Additional Deputy Commissioner,
Bilaspur, H.P. (Member Secretary)

2. (Prem Singh),
Zila Parishad. (Member)

4. (Awanibhushan Rai) I.F.S.
Divisional Forest Officer
Distt. Bilaspur(H.P)
(Member)

6. (Pankaj Rai), I.A.S.
Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.
(Chairman)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा मोदर

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2दिनांक 25.11.2019ग्राम सभा का आखिरी सत्रकी बैठक आज दिनांक 25.11.19 को 3.30 बजे, स्थान मोदरमें श्री/श्रीमति श्री. अरुणकी अध्यक्षता में की गई जिसमें मोदरगांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत मोदरजंगल/ वन क्षेत्र में (उद्देश्य) 34.11.19 दिनांक 25.11.19 को 40 लि. 0.20.00 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) के निर्माण के लिए

मामूली की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र.सं.	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
	कोई दावा	नहीं पाया गया।	

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र.सं.	पात्र गांव वासी का नाम
	कोई दावा नहीं पाया गया।

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मोदर - 25.11.19 जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।स्थान 25.11.2019दिनांक मोदर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा मोदर

सचिव प्रमोद
 ग्राम वन अधिकार समिति
 मोदर गा. प. मण्डलापी
 जिला: पिलासपुर (उ.प्र.)

संतराम
 ग्राम वन अधिकार समिति
 मोदर गा. प. मण्डलापी
 जिला: पिलासपुर (उ.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा मोहर

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 25.11.2019

ग्राम सभा मोहर की बैठक आज दिनांक 25.11.2019 को 3.30 बजे, स्थान मोहर

में श्री/श्रीमति श्रीमति की अध्यक्षता में की गई जिसमें मोहर

गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत मोहर

जंगल/ वन क्षेत्र में (उद्देश्य) 33/11/14 डिब्बा प्रकल्प (हि.प्र.) के निर्माण के लिए

0.20.00 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार

समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के

अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
	कोई दावा नहीं पाया गया		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम
	कोई दावा नहीं पाया गया

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मोहर जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान 25.11.2019

दिनांक मोहर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

सचिव मोहर
ग्राम वन अधिकार समिति
मोहर ग्रा. पं. मण्डयाली
निलासपुर (हि.प्र.)

मोहर ग्रा. पं. मण्डयाली
निलासपुर (हि.प्र.)

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम समा मोहर
 प्रतिलिपि प्रस्ताव
 दिनांक 25.11.2019
 प्रस्ताव संख्या 2

ग्राम समा वन अधिकार समिति मोहर की बैठक आज दिनांक 25.11.19 को 3.30 बजे, स्थान मोहर में श्री 1 श्रीमती संतराम की अध्यक्षता में की गई जिसमें गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत मोहर जंगल/ वन क्षेत्र में (जिसमें विस्तृत विभाग द्वारा 33/11/19 दिनांक 3 फरवरी (2020) के निर्माण के लिए 0.20.00 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम समा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम समा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.	<u>कोई दावा नहीं पाया गया</u>	<u>मोहर</u>	
2.			

तदनुसार यह ग्राम समा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1.	<u>कोई दावा नहीं पाया गया</u>
2.	

तदनुसार ग्राम समा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसमा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मोहर जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान मोहर
 दिनांक 25.11.2019
 अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता
 ग्राम समा _____

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

संतराम
 ग्राम वन अधिकार समिति
 मोहर गा. पं. मण्डवाली
 जिला बिलासपुर (छ.प्र.)

बैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति मोदर ग्राम मोदर
तहसील श्री नयना देवी जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

आज दिनांक 25.11.2019 को वन अधिकार समिति ग्राम मोदर
की बैठक अध्यक्ष श्री / श्रीमति संतराम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई
जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:-

क्रमांक	नाम व पिता/पति का नाम	पद नाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1.	श्री संतराम	प्रधान	मोदर	ST	संतराम
2.	श्री रामनाथ	सदस्य	मोदर	OBC	Ram Nath
3.	श्री लक्ष्मी प्रसाद	सदस्य	मोदर	OBC	Laxmi
4.	श्रीमती/श्री	सदस्य	मोदर	OBC	Ram Nath
5.	सुरेन्द्र कुमार	सदस्य	मोदर	OBC	सुरेन्द्र कुमार
6.	सुरेन्द्र कुमार	सदस्य	मोदर	OBC	सुरेन्द्र कुमार
7.	शीला देवी	सदस्य	मोदर	SC	शीला देवी
8.	Nirmala Devi	सदस्य	मोदर	SC	Nirmala Devi
9.	Amrita Devi	सदस्य	मोदर	OBC	Amrita Devi
10.	रामकाम	सदस्य	मोदर	OBC	रामकाम

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कानूनगो श्रीमती निशा शर्मा
तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री प्रीतम सिंह के साथ भूमि खसरा नम्बर
110 रक्बा 0.20.00 हेक्टेर जिसके सन्दर्भ में
33/11 KV विद्युत उपकेंद्र (उद्देश्य) के लिए अनापति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम)
हि० प्र० वि० ५० ने चाहा है का मौका पर निरीक्षण व्यक्तिगत तौर पर किया व
अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई:-

1. उक्त भूमि का नक्शा / तृतीया पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष बनाया ।
2. उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ ।
3. उक्त भूमि पर गद्दी गुज्जर या अन्य घुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पेशा ना हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है ।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्देश्य) 33/11 KV विद्युत उपकेंद्र हेतु
समझने उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम मोदर के अंतर्गत
उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।
33/11 KV विद्युत उपकेंद्र के निर्माण के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की
अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है । यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता
अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की
जाती है । प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप
कार्यवाही के अनुरूप है ।

26/11/2019
वन अधिकार समिति

प्रधान, संतराम
वन अधिकार समिति

सचिव, संतराम
वन अधिकार समिति

पटवारी,
Page 188
Patwar Circle Shri Naina Devi J.
Te: Shri Naina Devi Ji,
Distt Bilaspur (H.P.)

वन रक्षक
वृत्त 9/C Kot Raut

बैठक कार्यवाही ग्राम समा मोयरा
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006.

वन अधिकार समिति
ग्राम समा मोयरा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 2

दिनांक 25-11-2019

ग्राम समा वन कार्यवाही समिति मोयरा की बैठक आज
दिनांक 25-11-19 को 3.30 बजे, स्थान मोयरा में
श्री/श्रीमति सुतराम की अध्यक्षता में की गई जिसमें
मोयरा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मोयरा जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें
विष्णु दि मासा द्वारा

33/11/19 विष्णु दि मासा द्वारा (विष्णु दि मासा द्वारा) के निर्माण के लिए 0.20.00 हैक्टेयर वन भूमि के
उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रमांक	पात्र गांववासी का नाम	गांव का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.			
2.	<u>सम्भर गांववासी</u>		
3.			
4.			

बैठक में वन अधिकार समिति मोयरा द्वारा
33/11/19 विष्णु दि मासा द्वारा (उद्देश्य) के लिए विष्णु दि मासा द्वारा (विभाग) के पक्ष में

दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऊपर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव
पारित किया गया कि राजस्व गांव मोयरा में भूमि खसरा नम्बर
110 रक्बा 0.20.00 हैक्टेयर को 33/11/19 विष्णु दि मासा द्वारा (उद्देश्य) के
लिए हस्तान्तरण करने पर इस ग्राम समा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित
जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत
कोई मामला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम समा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान मोयरा
दिनांक 25.11.2019

प्रधान, सुतराम
वन अधिकार समिति
ग्राम वन अधिकार समिति
मोयरा गा. पं. मण्डलाती
जिला बिलासपुर (छ.प्र.)

सचिव, [Signature]
वन अधिकार समिति
मोयरा गा. पं. मण्डलाती
जिला बिलासपुर (छ.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006) के अंतर्गत FRA प्रमाण पत्र तथा अनुच्छेद 3 (2) के तहत भूमि हस्तांतरण हेतु ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार अनुबंध (क)

कार्य का नाम 33/11KV बि.सू. उप. के. के. का निर्माण कार्य

विभाग का नाम विभाजन परीक्षा विभाग परीक्षा

कुल प्रस्तावित भूमि..... 0.20.00 हे. + 24.2

उद्देश्य - (1) FRA प्रमाण पत्र हेतु ।

(2) FRA-2006 के अनुच्छेद 3 (2) के तहत भूमि हस्तांतरण हेतु।

खसरा न. पर भूमि का ब्यौरा !

[illegible]

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त खसरा न. अनुसार ततीमा को मोके पर काटा गया।

ॐ
सुतराम
प्रधान सचिव
तब अधिकार समिति
पुन अधिकार समिति
राजस्थान मात
को पत्र दण्ड्याली, विष्णो जी
पिता विष्णोराय (पुत्र)

सितराम
प्रधान
सचिव
वन अधिकारी समिति
राजस्य गांव
पंच माण्ड्याती, विठ्ठल भी जैन
जिला बिनासपुर (हिंगोली)

Village Revenue Officer
Patwar Circle, Sh. Naina Devi
Teh. Sh. Naina Devi
Dist. Bilaspur (M.P.)

प्रमाणक, Fgd
वनरक्षक,
वृत्त 9/CKot
Beet

प्रस्ताव संख्या 02:- ग्राम में उपस्थित वन अधिकारी कार्यालय की स्थापना
 में गांव मोदर में विद्युत उपलब्ध 33/11 KV के बिजली के माध्यम से
 अचानक शक्ति में से विद्युत उपलब्ध के बिजली के लिए अब 02.00.00 के
 डिस्को से चरगाह बिल इन्फ्रान 0.02.42 ईई जी. (मुद्रांकित लक्ष्मी 0.17.58 ईई) के

अ. शक्ति का उपयोग विमानत प्रवेश विद्युत बिजली का वन अधिकारी
 की शक्ति अधिकारियों 2006 के अंतर्गत अंशित अधिकारों की
 आगामी आवश्यकता धारणकारी के प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव अर्ध-
 अंशित में परित खंड स्वीकार है।

मुद्रांक

दिनांक

सचिव 
 ग्राम वन अधिकारी कार्यालय
 मोदर गा. पं. मण्डला
 जिला बिलासपुर (छ.प्र.)

संतराम
 ग्राम वन अधिकारी कार्यालय
 मोदर गा. पं. मण्डला
 जिला बिलासपुर (छ.प्र.)

उपनिष्ठा वन कर्मचारी आदि/नो नोटा नवरी १
 मेना देवी जी, जिला बिलकपुर (बि.पु.)

कर्मचारी नाम व पदनाम

- 1 श्री कंत राठ
- 2 श्री राधन राठ
- 3 श्री बदरी प्रसाद
- 4 Rampant Singh
- 5 सुरेश कुमार
- 6 अशोक कुमार
- 7 शीला देवी
- 8 Nirmala Devi
- 9 Anita Devi
- 10 राम चली

पदनाम नाम व पदनाम

प्रधान ST

अधीन OBC

राधन	OBC	by
राधन	OBC	Rampant Singh
राधन	OBC	सुरेश कुमार
अशोक	OBC	अशोक कुमार
राधन	SC	शीला देवी
राधन	SC	Nirmala Devi
राधन	OBC	Anita Devi
राधन	OBC	राम चली

प्रमाण पत्र

दिनांक २६/११/२०१९ को गांव ११/६६
की वन अधिकार समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें गांव का
कुल आबादी १२३ है, जिसमें से ६६ सदस्यों ने
भाग लिया, जो कुल आबादी का ५०% है।

प्रमाण संतराम सावेव
वन अधिकार समिति
प्रधान,
वन अधिकार समिति,
.....

प्रमाण संतराम सावेव
वन अधिकार समिति
सचिव,
वन अधिकार समिति,
.....

बैठक में उपस्थित सदस्य गण एवं उनके हस्ताक्षर

क्र.सं.	नाम	पदनाम	जाति	हस्ताक्षर
1.	श्री अनंदा	प्रधान	ST	संतराम
2.	श्री रामनाथ	अधिवक्ता	OBC	Devi
3.	श्री लक्ष्मी प्रसाद	शिवराज	OBC	Ram
4.	Ramprasad	1744	OBC	Ramprasad
5.	रमेश कुमार	2144	OBC	रमेश कुमार
6.	अशोक कुमार	सदस्य	ग्रामीण	Ramesh Kumar
7.	शक्ति शर्मा	सदस्य	ग्रामीण	Secma
8.	सतीश देवी	सदस्य	ग्रामीण	सतीश देवी
9.	चन्नवती देवी	सदस्य	ग्रामीण	Shiv Kumar
10.	शिव कुमार	सदस्य	ग्रामीण	Ramesh Kumar
11.	चन्नारसी दास	सदस्य	ग्रामीण	DPS Kumar
12.	दास पाल	सदस्य	ग्रामीण	Ramesh Kumar
13.	रमेश शर्मा	सदस्य	ST	Ram
14.	रवि कुमार	सदस्य	ST	दास पाल
15.	हामन सिंह	सदस्य	ST	चन्नारसी दास
16.	वचना शर्मा	सदस्य	ST	दास पाल
17.	पोला शर्मा	सदस्य	ST	रमेश शर्मा
18.	प्रवीण कुमार	सदस्य	ST	रवि कुमार
19.	राम दास	सदस्य	ST	हामन सिंह
20.	अमर शर्मा	सदस्य	ST	वचना शर्मा
21.	लाबू शर्मा	सदस्य	ST	पोला शर्मा
22.	विनोद कुमार	सदस्य	ST	प्रवीण कुमार
23.	Rajesh Kumar	सदस्य	ST	राम दास
24.	बालादेव	सदस्य	ST	अमर शर्मा
25.	Ram Dada	सदस्य	ST	लाबू शर्मा
26.	आम जगदा	सदस्य	ST	विनोद कुमार
27.		सदस्य	ST	Rajesh Kumar
		सदस्य	ST	Baladev
		सदस्य	ST	Ram Dada
		सदस्य	ST	Om Prakash

बैठक में उपस्थित सदस्य गण एवं उनके हस्ताक्षर

21	सुशील कुमार	सदस्य	सदस्य	Sushil Kumar
22	सोम प्रकाश	सदस्य	सदस्य	Som Prakash
29	Jagdish Kumar	सदस्य	सदस्य	Jagdish Kumar
30	ओम शर्मा	सदस्य	सदस्य	Om Sharma
31	Ram Choudhary	सदस्य	सदस्य	Ram Choudhary
32	दीन दत्त	सदस्य	OBC	Deen Datt
33	Baba	सदस्य	OBC	Baba
34	बिपिन शर्मा	सदस्य	सदस्य	Bipin Sharma
35	राजेश कुमार	सदस्य	सदस्य	Rajesh Kumar
36	भोला चंद	सदस्य	ST	Bhola Chandra
37	पल्लवी	सदस्य	ST	Pallavi
38	सुनील कुमार	सदस्य	OBC	Sunil Kumar
39	सनदीप कुमार	सदस्य	OBC	Sandeep Kumar
40	राम नारायण	सदस्य	OBC	Ram Narayan
41	विनोद	सदस्य	OBC	Vinod
42	सुप्रभा	सदस्य	सदस्य	Supra

बैठक में उपस्थित सदस्य गण एवं उनके हस्ताक्षर

1	नीलम शर्मा	सदस्य	सदस्य	Nilam Sharma
2	मानसी शर्मा	सदस्य	सदस्य	Manasi
3	पुष्पा शर्मा	सदस्य	सदस्य	Parigali
4	शान्ती देवी	सदस्य	सदस्य	Shanti Devi
5	कमलेश शर्मा	सदस्य	सदस्य	Kamlesh
6	पूजा कुमारी	सदस्य	सदस्य	Pooja Kumari
7	शैशवी देवी	सदस्य	सदस्य	Shishvi Devi
8	माया देवी	सदस्य	सदस्य	Maya Devi
9	भागो देवी	सदस्य	सदस्य	Bagho Devi
10	वीरदेई	सदस्य	सदस्य	Viradei
11	कमलनी	सदस्य	सदस्य	Kamalni
12	विद्या	सदस्य	सदस्य	Vidya
13	वर्गो	सदस्य	सदस्य	Vargo
14	रीना	सदस्य	सदस्य	Reena
15	बीसी	सदस्य	सदस्य	Bhisi
16	कान्ता	सदस्य	सदस्य	Kanta
17	सत्या देवी	सदस्य	सदस्य	Satya Devi
18	सीमा	सदस्य	सदस्य	Seema
19	सिद्ध	सदस्य	सदस्य	Siddh
20	मौनु	सदस्य	सदस्य	Mounu
21	लक्ष्मी देवी	सदस्य	सदस्य	Lakshmi Devi
22	सुनीता	सदस्य	सदस्य	Sunita
23	सीमा शर्मा	सदस्य	सदस्य	Seema Sharma
24	राजमणी देवी	सदस्य	सदस्य	Rajamani Devi